

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-86/2021(जीसीएमएस नम्बर 2021/164)

1. ज्ञानचन्द पुत्र नानगा,
2. रामजीलाल पुत्र नानगा,
3. हरलाल पुत्र नानगा,
4. हरसहाय पुत्र नानगा,
5. धापादेवी पत्नि नानगा, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम कोल्यावास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. जयराम पुत्र श्योजीराम जाति मीना निवासी ग्राम कोल्यावास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री अशोक कुमार जोशी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सतीश पारीक एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह तथ्य नहीं देखा गया कि किसी भी पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मुख्य विवाद पड़ोसी खातेदारान से रहता है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी पड़ोसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाकर केवल मात्र तहसीलदार को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरित होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिन खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर काबिज है। उक्त खसरा नम्बरान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौरान सेटलमेन्ट रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिये थे जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद ज्ञानचन्द बनाम रामसुखा प्रकरण संख्या 42/2016 विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला दावा रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धित करने के आदेश दिनांक 11.06.2018 को जारी कर रखे हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना है कि पूर्व में कोई सीमाज्ञान हुआ था जिसमें प्रार्थीगण संतुष्ट नहीं थे जिससे स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध थी फिर भी उक्त रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि दिनांक 28.10.2021 को पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया था कि उक्त खसरा नम्बरों में से कुछ खसरा नम्बरों पर मकान बने हुए हैं तथा वर्तमान में जरीब चलाकर पत्थरगढ़ी किया जाना संभव नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2021 पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि विवादित भूमि अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि से लगती हुई भूमि है तथा अपीलान्ट्स काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा रेस्पोजेन्ट जबरन अपीलान्त को अपनी भूमि की मेड़ से हटाकर बेदखल करने पर आमादा है जिस कारण उनके द्वारा अपीलान्त को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वास्तविक तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2021 पारित कर दिया है, जो निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान द्वारा प्रकरण संख्या 25/2021 बउनवानी जयराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2021 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि ग्राम कोल्यावास जिला दौसा में कृषि भूमि का आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नम्बर 327 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.5900 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.5900 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 361 रकबा 0.2600 हैक्टर स्थित है जिसका रेस्पोजेन्ट संख्या एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है जिस पर वे प्राधिकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त कृषि भूमि से किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना-देना, वास्ता, सरोकार या किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने आगे कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की उक्त आराजी पर काश्त की गई फसल को आवारा जानवर नष्ट कर देते हैं जिससे रेस्पोजेन्ट को भारी नुकसान होता है तथा रेस्पोजेन्ट अपनी उक्त भूमि के चारों ओर मिटटी की कच्ची डोली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ जब भी लगाते हैं तो पड़ोसी खातेदारान उसको तोड़ देते हैं जिससे रेस्पोजेन्ट की भारी नुकसान होता है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट की उक्त खातेदारी भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का ही है और रेस्पोजेन्ट अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त कर रहा है परन्तु पड़ोसी खातेदारों द्वारा बिना वजह रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को हैरान व परेशान किये जाने पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी

करवाना आवश्यक हुआ है तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की भूमि का दिनांक 22.06.2016 को सीमाज्ञान भी हो जाने के पश्चात् रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक गलती नहीं की गई है और निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी की एवं फसल इत्यादि की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने को कानूनी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम में प्रदत्त किये हुए हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्बत् 2073-2076 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 324, 327, 333, 334, 340, 341, 350, 351, 355, 358, 360, एवं 361, वाके ग्राम कोल्यावास रेस्पोजेन्ट के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी रेस्पोजेन्ट की उक्त खसरा नम्बरान की आराजी का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित किये गये। यदपि अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने दौराने बहस अपीलार्थीगण एवं रेस्पोजेन्ट के मध्य न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा में वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन होना तथा उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के प्रभावशील होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित किया जाना कथन किया है किन्तु अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 पारित करने के दौरान रेस्पोजेन्ट की उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(असलम शेर खान)

अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर